

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	मंगल राय पिता-छतरी राय ग्राम+पो०-रहीमपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम०सी०एस-जी० 7212	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	खंतर साह पिता-काशी साह ग्राम-हरनाहा पो०-मेंहदी थाना-टिकापट्टी जिला पूर्णिया एम०सी०एस-जी० 7787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	हरि राम महतो पिता-स्व० कृष्णदेव महतो ग्राम-खजुरी पो०-प्यारेपुर थाना-पानापुर जिला-सारण एम०सी०एस-जी० 85469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	नौशाद आलम पिता-नसीम अख्तर ग्राम-कलागाछ पोस्ट-मंगुरा थाना-दीघल बैंक जिला-किशनगंज एम०सी०एस-जी० 8027	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	लक्ष्मीना देवी पति-मनोज कुमार ग्राम-मंडुरा पो0-संहगी थाना-अगियांव जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 2275	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	धीरज कुमार गोंड पिता-ओसीहर गोंड ग्राम-बरी ईशर डोमाहा पो0+थाना-हथुआ जिला-गोपालगंज एम0सी0एस-एफ 94992	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रामजी पासवान पिता-गोविन्द राम ग्राम-मटियारा पो0-कायम नगर थाना गीधा जिला-भोजपुर एमसी0एस-जी0 7991	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	तारा देवी पति-राजेन्द्र साह ग्राम-मालपुर पो0-गोसाईगांव थाना-गोपालपुर जिला-पटना एमसी0एस-जी0 8204	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रेणु देवी पति-रविन्द्र ठाकुर ग्राम-ईश्वरपुर पो0-लोदीपुर थाना-परैया जिला गया एमसी0एस-जी0 7482	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	गंगा राम यादव पिता-बदरी यादव ग्राम-पो0 डपरखा थाना-त्रिवेणीगंज जिला सुपौल एमसी0एस-एफ 91410	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सैमुल खातुन पति-मोहम्मद मुस्तफा ग्राम+पो0-फुलवरिया थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर एमसी0एस-एफ 71859	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

12	परमानन्द राम पिता-सुग्रीव राम ग्राम-टेहरी पो0-शिल्हौरी थाना-मढौरा जिला-सारण छपरा एम0सी0एस-एफ 70441	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	विमला कुंवर पति-स्व0 शम्भु पासवान ग्राम-झोकीपुर पोस्ट-सरैया थाना-कृष्णगढ़ जिला-भोजपुर, आरा एम0सी0एस-जी0 3528	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	हीरा लाल यादव पिता-जोगो यादव ग्राम-चिलमिल बेगुसराई पो0 चिलमिल थाना-मुफ्फसिल जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 6161	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	अफसाह मंसुरी पिता-इस्लाम ग्राम लोहरी टोला पोस्ट-मरपा ताहिर थाना बैरगनिया जिला-सीतामढ़ी एम0सी0एस-जी0 6324	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	डिम्पल कुमारी पति-प्रकाश कुमार ग्राम-चकिया पो0-चकिया थाना-पानापुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 78922	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	सरोज देवी पति-जय राम प्रसाद ग्राम-उसरी पो0-भट्टा थाना-पकरीबरांवा जिला-नवादा एम0सी0एस-जी0 7603	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	सितारा बेगम पति-नजीर उद्दीन ग्राम-पलासमनी पोस्ट-बहादुरगंज थाना-बहादुरगंज जिला-किशनगंज एम0सी0एस-जी0 7588	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

19	भरत महतो पिता-स्व० सरजु महतो ग्राम-पोखरहाँ पो-पोखरहाँ थाना-बगेन गोला जिला-बक्सर एम०सी०एस-जी० 8045	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	कमल मेहता पिता-धन्ना मेहता ग्राम-चकोड़वा पो०-सोनापुर बाजार थाना-नरपतगंज जिला-अररिया एम०सी०एस-एफ 73844	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	श्यामलता देवी पति-अर्जुन प्रसाद ग्राम-मनीपुर पो०-ऐफनी थाना-कसार जिला-शेखपुरा एम०सी०एस-जी० 6432	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	बिन्देश्वर सिंह पिता-स्व० सुरत सिंह ग्राम-ढिबरी पो०-सिकरीया थाना पालीगंज जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 3753	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	सीता देवी पति-विजय राय ग्राम+पो०-बरहरा थाना-बडहरा जिला-भोजपुर एम०सी०एस-जी० 7275	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	अरविंद सिंह पिता-फुचो सिंह ग्राम-महदीपुर टोला पो०-कुर्बन थाना-बेलदौर जिला-खगड़िया एम०सी०एस-जी० 5158	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सीमा कुमारी पिता अरविन्द पंडित ग्राम-मधेपुर सिंघाड़ा पोस्ट-सिंघाड़ा थाना-महुआ जिला वैशाली एम०सी०एस-एफ 81884	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

26	मो० मसुद आलम पिता-महमुद अंसारी ग्राम-हकिम शाह मोहम्मद लेन पो०-चम्पा नगर थाना-नाथ नगर जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी० 8460	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
27	अनसुईया देवी पति-हृदय नारायण बिन्द ग्राम-इंगलिश रतनपुर पोस्ट-खानपुर माल थाना बाथ जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी० 8137	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	वहीदा तरन्नुम पिता-स्व शहिद हुसैन ग्राम-बिशाम्बरपुर पो०-हरिपुर लालगढ थाना-जमो बाजार जिला-सीवान एम०सी०एस-जी० 5229	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
29	निर्मल साव पिता-सत्यनारायण साव ग्राम-करनामेपुर पो०+थाना-करनामेपुर जिला भोजपुर एम०सी०एस-जी० 5144	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	विनय कुमार पिता लक्ष्मण पासवान ग्राम-नरहा जंगदार पो०-किशनपुर थाना-सहियारा जिला-सीतामढी एम०सी०एस-जी० 7856	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	एजाज पिता-समसुल ग्राम+पो०-चुटिया थाना-शंभुगंज जिला-बांका एम०सी०एस-जी० 8527	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
32	अमित कुमार पिता-बालेश्वर पासवान ग्राम+पो०-डेढगांव थाना-काशीचक जिला-नवादा एम०सी०एस-जी० 7960	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	मुर्ती देवी पति-स्व० लखन चौधरी ग्राम-बरसीमा पो०-पोवा थाना-पातेपुर जिला-गयाजी एम०सी०एस-जी० 7675	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	गायत्री देवी पति-रामचन्द्र शर्मा ग्राम-महरथा पो०-बी०एस० पट्टी थाना+जिला-सहरसा एम०सी०एस-जी० 7154	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	रीना देवी पति-विनोद चौधरी ग्राम-मानपुर महल्ला टोली पो०+थाना-बुनियादगंज जिला गया एम०सी०एस-जी० 6365	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	अरजाबुल हक पिता-मकेबुल हक ग्राम-गोसाईपुर पो०-सिकटिया थाना-आजम नगर जिला-कटिहार एम०सी०एस-जी० 2657	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
37	मीना देवी पति-सुरेश रजक ग्राम-बिशनपुर पो०-धुसमुरि बिशपुर थाना गंगौर जिला-खगड़िया एम०सी०एस-जी० 6240	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	विनोद कुमार महतो पिता-रामकृष्णा महतो ग्राम-मक्करी पो०-हरभंगा थाना-आर०एस० जिला-मधुबनी एम०सी०एस-जी० 7319	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	शनिचरी देवी पति-जगरनाथ यादव ग्राम+पो०-अहिरौली थाना-औद्योगिक जिला-बक्सर एम०सी०एस-एफ 45505	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

40	देवकी देवी पति-शंकर पासवान ग्राम-मालीपुर टारा पो0-मालीपुर थाना-गढ़पुरा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 116	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	बसंती देवी पति-दशरथ पाण्डेय ग्राम-धरहरा पो0-आरा थाना-आरा नगर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 7532	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	गजेन्द्र कुमार पिता-विजय कुमार ग्राम+पो0-किंजर थाना-किंजर जिला-अरवल एम0सी0एस-जी0 1349	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	दसई राय पिता- राम लाल राय ग्राम-मिल्की के टोला पो0-सिन्हा घाट थाना-कृष्णगढ़ जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 4533	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	राम सरेख सिंह पिता-स्व0 भोला सिंह ग्राम+पो0-गौसपुर इजरा थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 8381	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	सुनीता देवी पति-शिवजी यादव ग्राम+पो0-रहथुआ थाना-ब्रहापुर जिला-बक्सर एम0सी0एस-जी0 7247	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	राजेश कुमार पिता-कामेश्वर कुमार ग्राम-कछुआ पो0-संग्रामपुर थाना-चानन जिला-लखीसराय एम0सी0एस-एफ 96197	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	रहमती बेगम पति-मो० मन्नान ग्राम-गिरदा पो०-बेगमपुर थाना-जलालगढ जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-जी० 6967	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
48	संजीव सिंह पिता-रामाकांत सिंह ग्राम इनियार पो०-दनौली फुलवरीया थाना-मुफ्फसिल पी०एस० जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-जी० 7726	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	रीना देवी पति-उपेन्द्र प्रसाद ग्राम-परेगवा पो०+थाना-योगापट्टी जिला प० चम्पारण एम०सी०एस-जी 4933	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	मो० नईम पिता-मो० जान ग्राम+पो०-मंसुरपुर हलैया थाना-कटहरा जिला-वैशाली एम०सी०एस-जी 6082	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
51	गोपाल पोद्दार पिता-गोविन्द पोद्दार ग्राम-राजगंगापुर पोस्ट+थाना-सुल्तानगंज जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी 8432	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	पार्वती देवी पति-स्व० अनवत साह ग्राम वार्ड नं०-8 बरहनी पो०-गरहनी थाना-सिवान मुफ्फसिल जिला-सीवान एम०सी०एस-जी० 8452	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	उमेश यादव पिता-गोवर्धन यादव ग्राम-वीर खास पो०-वीर थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-जी 8898	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	सीता राम दास पिता-विशेषवर राम ग्राम-चकवजो मलाही पो0-गराही थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी 1196	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
55	रामरूप यादव पिता-सरयुग यादव ग्राम-लोहना पश्चिम पोस्ट-लोहना थाना-भैरव स्थान जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 81609	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	जब्बार अली पिता-ग्यास अली ग्राम-बेलवा पोस्ट-चकला घाट थाना+जिला-किशनगंज एम0सी0एस-जी 8330	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
57	शकुन्तला देवी पति-राम चन्द्र कुंवर ग्राम-शाहवाजपुर पोस्ट-घटहो थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी 1951	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	राम नरेश सिंह पिता-बासदेव सिंह ग्राम+पो0-बैरिया थाना-पिपराही जिला-शिवहर एम0सी0एस-एफ 12155	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
59	श्यामा देवी पति-जागो महतो ग्राम-पाली वार्ड 2 पो0-पाली थाना-वीरुपुर जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी 7975	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	अरुण राय पिता-राम बहादुर राय ग्राम-सुज्जनपुर पो0-कौरैया थाना-गरपुरा 11 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी 6611	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	नीरज कुमार सिंह पिता-स्व० हीरा सिंह ग्राम-पीपरा पोस्ट-मच्चीपुर थाना-लोदीपुर जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी 8679	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	श्वेता देवी पति-बिरेन्द्र सिंह ग्राम-मंगोलपुर पोस्ट-करहंसी थाना-ईटाढी जिला-बक्सर एम०सी०एस-जी 7387	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	गणेश राम पिता-रमेश राम ग्राम-दतियाना पो०-दतियाना थाना-बिक्रम जिला-पटना एम०सी०एस-जी 7125	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	कलावती देवी पति-बदन राय ग्राम-तेलाढ पो०-अगियांव बाजार थाना-अगियांव बाजार जिला-भोजपुर एम०सी०एस-जी 7230	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	सोहित महतो पिता-होसीला महतो ग्राम-मासवास पोस्ट-सुगहा भवानीपुर थाना-कगली जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-जी 7996	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	उमा देवी पति-अर्जुन साह ग्राम-चौधरी पट्टी पो०-बनमनखी थाना-बनमनखी जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-जी 7451	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	बाल कृष्ण प्रसाद पिता-स्व० शंकर प्रसाद ग्राम-सेमरिया पो०-रिविलगंज थाना-रिविलगंज जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 82632	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	बिन्दा लाल साह पिता-स्व० मुनी साह ग्राम-रामपुर पोखरा टोला पो०-रामपुर थाना-लौकरिया जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-जी 7903	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	मो० तनवीर आलम पिता-मो० याकुब ग्राम-डकही पो०-भरफोरी थाना-आंध्रामठ जिला-मधुबनी एम०सी०एस-जी 8545	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
70	शिवम कुमार पिता-अरविन्द यादव ग्राम-दलजीत बिगहा पोस्ट-काशीपुर थाना-नरारी कल जिला औरंगाबाद एम०सी०एस-एफ 36550	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	अनिता देवी पति-योगी पासवान ग्राम+पो०-सोनबरसा थाना-सोनबरसा जिला-सीतामढी एम०सी०एस-जी 8037	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	मंजु देवी पति-अशोक महतो ग्राम-हुनमान नगर पोस्ट-कांटा पिरौछा थाना-गया घाट जिला-मुजफ्फरपुर एम०सी०एस-एफ 93400	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	शांति देवी पति-विश्राम प्रसाद ग्राम-पचपकड़िया पदुम पो०-काला डुमरा थाना-जी०बी० नगर तरवारा जिला-सीवान एम०सी०एस-जी 5191	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	कन्हैया प्रसाद पिता-मुगेश्वर साव ग्राम-इब्राहिमपुर पो०-इब्राहिमपुर थाना-फेसर जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-जी 4678	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	रामबली यादव पिता-सुन्दर यादव ग्राम+पो0+थाना-अस्थावा जिला-नालंदा एम0सी0एस-जी 8658	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	सुनैना देवी पति-हीरामन पासवान ग्राम-जंगल गोपाली पो0-लक्ष्मीपुर बभनियॉ थाना-कहलगॉव जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी 8245	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	कार्तिक कुमार पिता-मिथलेश कुमार राय ग्राम-बलानपट्टी पोस्ट-टेंगरार थाना-खुटौना जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी 7326	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	कमल सहनी पिता-बुन्नी सहनी ग्राम-अंटौर पास्ट-अंटौर थाना-बहेडा जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी 6697	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	शबु खातुन पति-जमाल मंसुरी ग्राम-गुलगुलिया पोस्ट-मखदुमपुर थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी 8385	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
80	सरिता देवी पति-स्व0 संजय राम ग्राम-रिफातपुर पो0 सादीपुर थाना-ईशीपुर पीरपैती जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी 2453	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	सुदर्शन राम पिता-स्व. केदार राय ग्राम-चकियॉ 02 पो0-कोटवापट्टी रामपुर थाना-डोरीगंज जिला-सारण, छपरा एम0सी0एस-जी 7872	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	विक्रु यादव पिता-हीरा यादव ग्राम-मौला नगर पो-करकी थाना-अररियरि जिला-शेखपुरा एम0सी0एस-जी 7877	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	धर्मशीला देवी पति-फेकन पासवान ग्राम-टिलहार पोस्ट+थाना-खुसरूपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 85909	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	गुडडी देवी पति-देवानन्द शर्मा ग्राम-फुलहारा पो-गीता देवधा थाना-हसनपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी 4274	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	पासपती देवी पति-राम सुधड़ प्रसाद ग्राम-राछोपाली पो-राछोपाली थाना-जामो बाजार जिला-सीवान एम0सी0एस-जी 8445	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	नुरजहाँ खातुन पति-जब्बार साह ग्राम-जोगाचक पो+थाना-कौवाकोल जिला नवादा एम0सी0एस-जी 6440	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
87	कल्पना देवी पति-कृष्णदेव मंडल ग्राम-फाजिलपुर वार्ड 06 पो-सकरामा थाना-सन्हौला जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी 6163	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	अमरजीत कुमार पिता-नागेन्द्र सिंह ग्राम-जहनपुर पो-जोगता थाना-चांदी जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी 5988	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	मीना देवी पति-राजेश मंडल ग्राम-नयागांव नियर बी०डी०ओ० आफिस जमालपुर पो०-जमालपुर थाना इस्ट कोलनी जिला-मुंगेर एम०सी०एस-जी० 8464	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	बीबी बतुलन पति-मंजुर आलम ग्राम-चकवा पो०-डगरूआ थाना-डगरूआ जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-जी 4144	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
91	भारती देवी पति-रणजीत मंडल ग्राम-भाटचाक पो०-अमरथ थाना+जिला-जमुई एम०सी०एस-एफ 4952	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	रूधा देवी पति-हलधर सिंह ग्राम-चमथा बरखुट पो० बरखुट थाना-बछवाड़ा जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-एफ 53586	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
93	फुलचन्द मंडल पिता-रास मोहन मंडल ग्राम-फुलहारा पो०-कुमारीपुर थाना-मनसाही जिला-कटिहार एम०सी०एस-जी 2109	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	उमेश मंडल पिता-जदु मंडल ग्राम-इटहरी पो०-सरायगढ थाना-भपटियाही जिला-सुपौल एम०सी०एस-जी 9098	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	अजीत कुमार राय पिता-महादेव राय ग्राम-गादो वाजिदपुर पो०+थाना-दलसिंह सराय जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-जी 4123	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

96	रोशनी देवी पति-शंकर प्रसाद ग्राम-कन्नौज पो0-राजहाट थाना-अकबरपुर जिला-नवादा एम0सी0एस-जी 7770	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	अमलेश कुमार पिता-कैलाश सिंह ग्राम-पो0-लौना थाना-तारापुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस-जी 3800	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	मालती देवी पति-राम किशोर पाण्डेय ग्राम-नारगी पो0-सरौन थाना-चकाई जिला-जमुई एम0सी0एस-जी 3810	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	दुर्गावती देवी पति-आनंद सिंह ग्राम-लेरुआन पोस्ट-कंचनपुर थाना-सासाराम जिला-रोहतास एम0सी0एस-जी 5500	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
100	बबीता देवी पति-मुकेश राम ग्राम-मधुडीह पो0-सागर थाना-पीपरा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी 6533	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	सुदामा देवी पति-झुमलाल सहनी ग्राम-कमरौव टोले मालपुर पो0-दलसिंह सराय थाना-दलसिंह सराय जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी 8316	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
102	राम चन्द्र साह पिता-भृगुनाथ साह ग्राम-जिगनी पोस्ट-मनिहारी थाना-भभुआ जिला-कैमुर भभुआ एम0सी0एस-जी 8868	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	गोपाल साह पिता-शिवनारायण साह ग्राम+पो0-जगैली थाना श्रीनगर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी 8038	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	अतिया खातुन पति-मो0 कलीम उद्दीन ग्राम-मानपुर पेहानी नई मदरसा, पो0-बुनियादगंज थाना-मुफ्फसिल जिला-गया एम0सी0एस-जी 7606	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
105	विजय शर्मा पिता-स्व0 राम स्वरूप मिस्त्री ग्राम-सैदनपुर पोस्ट-हिलसा थाना-हिलसा जिला-नालंदा एम0सी0एस-जी 3182	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
106	राम प्रवेश साव पिता-दुलारचंद साव ग्राम-इमामगंज पो0-शंकरपुर इमामगंज थाना-खानपुर खीडीमोड जिला-पटना एम0सी0एस-जी 8762	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	लक्ष्मी कुमारी पति-लाले साह ग्राम-रजौन पो0-रजौन थाना-रजौन जिला-बांका एम0सी0एस-एफ 90853	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	राज कुमारी ताँती पिता-मसुदन ताँती ग्राम-दलदलीचक पोस्ट-सिरसी डिहरा थाना-हरनौत जिला नालंदा एम0सी0एस-जी 9033	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	लक्ष्मनिया देवी पति-भागदेव राम ग्राम-महादेव मठ पो0-कन्हौली थाना-महुआ जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 95939	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

110	रेणु देवी पति-अमरेन्द्र शर्मा ग्राम-सिकरीया पो0-मकसुदपुर थाना-टिकारी जिला-गया एमसी0एस-एफ 44354	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
111	बिमला देवी पति-अशोक कुमार सिंह ग्राम-पतला पोस्ट-समसपुर थाना-महेशखुंट जिला-खगड़िया एमसी0एस-जी0 4852	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
112	रामराज साह पिता-भुखो साह ग्राम-चांदवारा पो0-सुहिर्दनगर थाना-सिंघौल जिला-बेगुसराय एमसी0एस-जी0 7436	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	धिरेन्द्र ठाकुर पिता-स्व0 केशर लाल ठाकुर ग्राम+पो0-मटियारी थाना-फारबीसगंज जिला-अररिया एमसी0एस-जी0 4907	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	सकुन्ती देवी पति-कारु प्रसाद ग्राम-पभेडा पो0-पभेडा थाना-धनरूआ जिल-पटना एमसी0एस-जी0 7416	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	पार्वती देवी पति-भोला मंडल ग्राम -गोदियासी पो0-पचरूखी थाना-शाहकुंड जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 5387	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	बृक्ष शर्मा पिता-रामधनी शर्मा ग्राम-कोसडिहरा पो0-पडरावाँ थाना-जमोहर जिला-औरंगाबाद एमसी0एस-जी0 8377	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

117	रोशन आरा खातुन पति-अब्दुल रशीद ग्राम-मवैया पो0-बिशनपुर थाना-कोढा जिला-कटिहार एमसी0एस-जी0 2322	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
118	सकिला देवी पति-महेन्द्र राय ग्राम-सुल्तानपुर चक हरिहर पो0-पातेपुर थाना-पातेपुर जिला-वैशाली एमसी0एस-एफ 8400	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	छोटे लाल चौहान पिता-शोभी चौहान ग्राम-बरखंदा पो0-मोमिन्दपुर थाना-हिलसा जिला-नालंदा एमसी0एस-जी0 6764	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
120	रौनक कुमार पिता-नागेश्वर दास ग्राम-बेलौजा पूर्व टोला दुर्गा मंदिर, पो0-बेलौजा थाना-पतुना जिला-मधुबनी एमसी0एस-जी0 8060	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	शकुंतला देवी पति-अर्जुन महलदार ग्राम-रामसभा कटिहार पो0-न्यू जुट मिल्स थाना-सहायक जिला-कटिहार एमसी0एस-जी0 8967	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	लालमुनी देवी पति-जयनंदन पासवान ग्राम-चकफैज पो0-सुक्की थाना पातेपुर जिला वैशाली एमसी0एस-जी0 8153	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	चन्दा कुमारी पति मनोज कुमार राय ग्राम-महरौली पो0-नेवारी थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान एमसी0एस-ई0 96053	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

124	कुन्दन यादव पिता-सत्यनारायण यादव ग्राम-मिर्जापुर पो0-भंगही थाना-फुलकाहा जिला-अररिया एमसी0एस-जी0 6703	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	मो0 ताहिर हुसैन पिता-स्व0 अब्दुल गफुर ग्राम-गढियाचक पो0+थाना-सन्हौला जिला-भागलपुर एमसी0एस-जी0 4522	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
126	मदन यादव पिता-सुखनंदन यादव ग्राम-सागरपर पो0-कोलावां थाना-हरनौत जिला नालंदा एमसी0एस-जी0 8609	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	सुजांती देवी पति-कपिल साह ग्राम-चांदपुरा पो0-चेफुल थाना-दाउदपुर जिला-सारण एमसी0एस-जी0 6079	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	प्रभा देवी पति-मनोज कुमार सिंह ग्राम-तेघरिया पोस्ट-बैगना थाना-टेढागाछ जिला किशनगंज एमसी0एस-जी0 8272	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	इंदु देवी पति-राम उदय पासवान ग्राम-विष्णुपुर आहोक पो0-विष्णुपुर थाना-साहेबपुर कमाल जिला बेगुसराय एमसी0एस-जी0 8587	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
130	सरिता कुमारी पति-बिपिन कुमार भगत ग्राम-भवानीपुर हॉस्पिटल रोड पो0+थाना- भवानीपुर जिला-पूर्णिया एमसी0एस-जी 6397	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

131	रामकेश्वर शर्मा पिता-राम उदगार शर्मा ग्राम-कुशियाम पो0-भच्छी थाना-बहेडी जिला-दरभंगा एमसी0एस-जी0 8797	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	मोहम्मद अहमद पिता-मोहम्मद दिलजान ग्राम-मोहम्मदपुर पोस्ट-बालुकाराम थाना+जिला वैशाली एमसी0एस-एफ 6006	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
133	सवाना खातुन पति-मो0 इलयास अंसारी ग्राम+पो0-बडहिया थाना-बडहिया जिला-लखीसराय एमसी0एस-जी0 8813	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
134	कान्ति देवी पति-अमर राउत ग्राम-मानपुर कुर्मी टोला पो0-बुनियादगंज थाना-मुफ्फसिल जिला-गयाजी एमसी0एस-एफ 90774	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
135	अवनीश कुमार पिता-जितेन्द्र शर्मा ग्राम-आदर्श नगर हसपुरा पो0-हसपुरा थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद एमसी0एस-एफ 73388	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
136	अरुणाभ कुमार पिता-विरेन्द्र प्रकाश सिंह ग्राम-महेशपुर पो0-लौना थाना-तारापुर जिला-मुंगेर एमसी0एस-जी0 6591	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
137	सलोनी कुमारी पिता-रवि कुमार ग्राम-बखरी बरही पो0-बखरी सुर्पयाम थाना-राजापाकर जिला वैशाली एमसी0एस-जी0 6652	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

138	महेन्द्र राम पिता-रूपम राम ग्राम-दुर्ग टोला पो0-फेरुसी थाना-गरखा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 7648	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
139	माया देवी पति-मणिलाल सरदार ग्राम+पो0-महम्मदगंज थाना-छातापुर जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 8930	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
140	रामकली देवी पति- रामध्यान पासवान ग्राम- सिरसिया बिगहा पो0- कथौली थाना- नूरसराय जिला- नालंदा एमसीएस नं0- एफ 97150	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,01,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,01,80,000/- (एक करोड़ एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002575 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **3601018437** खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 35/4(14)

पटना, दिनांक 30/12/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002515 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेखा देवी पति-जसीन्धर कुमार ग्राम-बेलाही वार्ड 4 पो०-रतनपट्टी थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा सीआरन०-108112502277749	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लाल सिंह पिता-राजा राम सिंह ग्राम-ढोली वार्ड 07 पोस्ट-सियानी थाना-भपटियाही जिला-सुपौल सीआरन०-108112566198	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	संजय सिंह पिता-रामाश्रय सिंह ग्राम-दिघी खुर्द पो०-दिघी कला थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली सीआरन०-108112503339853	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सोनाझरी देवी पति-अखिलेश यादव ग्राम-बड़की नैनीजोर पोस्ट-नैनीजोर थाना-नैनीजोर जिला-बक्सर सीआरन०-108112501347379	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मुन्ना कुमार शर्मा पिता-राम कुमार शर्मा ग्राम-कंसडीयर वार्ड 08 पो0-कंसडीयर थाना-डोरीगंज जिला-सारण सीआरनं0-108112502234150	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	चंदेश्वरी यादव पिता-बौकु यादव ग्राम+पो0-कहरा थाना-सहरसा जिला-सहरसा सीआरनं0-108112403248664	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	दिनेश साह पिता-मेधु साह ग्राम-घासी टोला पोस्ट-मनसाही थाना-मनसाही जिला-कटिहार सीआरनं0-108112503274697	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	जयमाला देवी पति-नागेन्द्र राय ग्राम+पो0-मरथुआ थाना-बिथान जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-108112502725164	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	डोमु यादव पिता-जागेश्वर यादव ग्राम-फुलवन वार्ड 01 पो0-टटुआर थाना-मनीगाछी जिला-दरभंगा सीआरनं0-108112501425531	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	राजेन्द्र केवट पिता-मुंशी केवट ग्राम-बगुली पो0-सचौल थाना-हिसुआ जिला-नवादा सीआरनं0-108112503159481	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	आभा देवी पति-नन्द किशोर प्रसाद ग्राम-धुरिया वार्ड सं0-09 पो0-धुरियाँ कलासन थाना-चौसा जिला-मधेपुरा सीआरनं0-108112503016060	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	राजीव कुमार पिता-मदन साह ग्राम-खटाहा कन्टोली पो0-गढमोहनी थाना-गोगरी जिला खगड़िया सीआरनं0-108112503180790	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	एकमी देवी पति-गौतम चौहान ग्राम-झझवा पोस्ट-बंगरा थाना-दरौंदा जिला-सीवान सीआरनं0-108112501381992	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	वीणा देवी पति-लालदेव राम ग्राम-लक्ष्मिनिया पो0-छजना थाना-नरहिया जिला-मधुबनी सीआरनं0-108112503103981	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	इन्दु देवी पति-प्रेम लाल साह ग्राम-बसबीट्टा पो0-बसबीट्टा थाना-मजोरगंज जिला-सीतामढी सीआरनं0-108112501635335	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	विनोद पासवान पिता-धीरेन पासवान ग्राम-मनिहारी पटेल टोला 11 पो0-मनिहारी थाना-मनिहारी जिला-कटिहार सीआरनं0-108112503119624	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	मंजु देवी पति-रजनीश कुमार ग्राम-ईटहरी 03 पोस्ट-गहुमणी थाना-सिंहेश्वर जिला-मधेपुरा सीआरनं0-108112501626561	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सुषमा देवी पति-रामजी राय ग्राम-दक्षिणी मंदिरी महावीर स्थान, पो0-जी0पी0ओ0 थाना-बुद्धा कोलनी जिला-पटना सीआरनं0-108112503268808	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	माया देवी पति-दिनेश पंडित ग्राम-डीही पोस्ट-फतेहपुर थाना-अकबरपुर जिला-नवादा सीआरनं0-108112300588912	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	अनुष्का सिंह पति-कुंदन कुमार ग्राम+पो0-रूपौली थाना-रूपौली जिला-पूर्णिया सीआरनं0-108112503291923	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	अरविन्द मुखिया पिता-बिन्देश्वरी मुखिया ग्राम-मोहनपुर पो0-बलवा घट थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा सीआरनं0-108112502696377	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	शोभा देवी पति-सुरेन्द्र यादव ग्राम-मानगंज पुरब पो0-मानगंज बाजार थाना-जदिया जिला-सुपौल सीआरनं0-108112502995617	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	निर्मला देवी पति-कमलेश कुमार ग्राम-दीही पो0-एकम्बा थाना-छौड़ाही ओ0पी0 जिला-बेगुसराय सीआरनं0-108112300439984	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	अवधेश कुमार मिश्रा पिता-जय किशोर मिश्रा ग्राम-पैकटोला पो0-थिरानीगंज थाना-टेढागाछ जिला-किशनगंज सीआरनं0-108112503151595	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	अनिता देवी पति-नन्द किशोर यादव ग्राम-भुसियातरी पो0-कधार थाना-जयपुर जिला बांका सीआरनं0-108112503113901	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	शोभा देवी पति-धर्मराज पंडित ग्राम-पलटपुरा वार्ड पो0-पलटपुरा थाना-मानपुर जिला-नालंदा सीआरनं0-108112500842481	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मेनका कुमारी पिता-अनिल कुमार सिंह ग्राम+पो0-सकडी थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर सीआरनं0-108112501451231	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	शारदा देवी पति-मुन्ना सिंह ग्राम-दिग्धी कला पूर्वी पो0-दिग्धी कला थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली सीआरनं0-108112502622110	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	जनकवा देवी पति-हरि लाल दास ग्राम-जामुखरैया वार्ड 3 पो0-गंगरा थाना-झाझा जिला जमुई सीआरनं0-108112502671528	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	शिव शंकर मुखिया पिता-मुनीलाल मुखिया ग्राम-मकुना वार्ड 12 पो0-मकुना थाना-बिहरा जिला-सहरसा सीआरनं0-108112503230223	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	आफरीन बी पति-मो0 मोबारक हुसैन ग्राम-सालमारी वार्ड 03 पो0-सालमारी थाना-सालमारी ओ0पी0 जिला-कटिहार सीआरनं0-108112501794526	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
32	सोनी कुमारी पति-संजय कुमार मेहता ग्राम-केवला वार्ड 01 पो0-भीमपुर थाना-भीमपुर जिला-सुपौल सीआरनं0-108112300827119	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

33	राजकेश्वर राय पिता-राजगृह राय ग्राम+पो0-खेढवा थाना-बसंतपुर जिला-सीवान सीआरनं0-108112300461289	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
34	देव नारायण राम पिता-अज्जो राम ग्राम-कमराकला वार्ड 04 पो0-जगन्नाथपुर थाना-बिरौल जिला दरभंगा सीआरनं0-108112502332600	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
35	मुन्नी देवी पति-नन्देलाल सिंह ग्राम-टिकारमपुर पो0-मथुरापुर थाना+जिला खगड़िया सीआरनं0-108112403245827	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
36	सुदामा देवी पति-मोती लाल महतो ग्राम-औसानी वार्ड 5 पो0-मंगलपुर थाना-पटखौली जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-10811240775012	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
37	निभा देवी पति-मंटु राम ग्राम-एतवारपुर निजामत पो0-जलालपुर थाना-लालगंज जिला-वैशाली सीआरनं0-108112400717361	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
38	विवेन्द्र यादव पिता-तेज नारायण यादव ग्राम+पो0-सुखासन थाना-ग्वालपाडा जिला-मधेपुरा सीआरनं0-108112403078220	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
39	मीना देवी पति-श्याम नन्दन शर्मा ग्राम-पो0 सलेमपुर थाना-अलीपुर जिला-गया सीआरनं0-108112503341921	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

40	कैलाशो देवी पति-परशुराम साह ग्राम-सिसई पो0-सिसई थाना-सहाजितपुर जिला-सारण सीआरनं0-108112503136715	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
41	कपिलदेव पासवान पिता-किशोरी पासवान ग्राम-मधुरा उत्तर वार्ड 02 पो0-नरपतगंज थाना-फुलकाहा जिला-अररिया सीआरनं0-108112402455721	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
42	अमेरिका देवी पति-जय शंकर मंडल ग्राम-सखुआ वार्ड 08 पो0-सखुआ थाना-पिपरा जिला-सुपौल सीआरनं0-108112402500661	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
43	मो0 रियासत पिता-अलिम ग्राम-गरैया लैलोखर वार्ड 03 पो0-महुंसी थाना-कुआरी ओ0पी0 जिला-अररिया सीआरनं0-108112502550381	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
44	काशीनाथ यादव पिता स्व रामदेनी यादव ग्राम-गोपालपुर पो0-निरंजनपुर थाना-मेंहदिया जिला-अरवल सीआरनं0-108112300661628	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
45	सफीना बेगम पति-मो0 साजीद बेग ग्राम-गराई वार्ड 14 पो0-गराई थाना-जाले जिला दरभंगा सीआरनं0-108112503344393	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
46	बबीता देवी पति-कामेश्वर पासवान ग्राम-बीरपुर वार्ड 10 पोस्ट-बीरपुर थाना-बीरपुर जिला-सुपौल सीआरनं0-108112402077050	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

47	जमील अहमद पिता-आस मोहम्मद ग्राम-खवासपुर पो0-किशुनपुरा थाना-लकडी नवीगंज जिला-सीवान सीआरनं0-108112503067039	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
48	सुबोध कुमार पिता-घनश्याम साह ग्राम-तेतरहार वार्ड 10 पो0-कजरैली थाना-कजरैली जिला-भागलपुर सीआरनं0-108112502074937	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
49	अन्नु देवी पति-देवेन्द्र झा ग्राम-रजौर वार्ड 02 पो0-पटकी कुटी थाना-मादेपुर जिला-मधुबनी सीआरनं0-108112402994001	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
50	संजीत कुमार पिता- गनौर महतो ग्राम-हरिशंकरपुर बघौनी वार्ड 10, पो0-ताजपुर थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-108112300437353	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
51	दिलिप कुमार पिता-राम किशुन दास ग्राम-गरुदेव टोला पो0-मोकामा थाना-मोकामा जिला-पटना सीआरनं0-108112400070406	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
52	सीताराम जयसवाल पिता-दशरथ भगत ग्राम-रामबाग ड्राइवर टोला पो0-पूर्णिया थाना-सदर जिला-पूर्णिया सीआरनं0-108112501362467	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
53	मो0 तबरेज पिता-मो0 हासीम ग्राम-नियर उर्दु लाइब्रेरी रोड चिकपट्टी, पो0-मोतिहारी थाना-टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-108112300797937	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

54	रुसेदन निशा पति-अख्तर खान ग्राम-खान टोला पो0 पररिया थाना-सिकटी जिला-अररिया सीआरनं0-108112503352001	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
55	महीदा खातुन पति-जमील अख्तर ग्राम-चैनपुर पो0-लक्ष्मीपुर थाना-श्रीनगर जिला-मधेपुरा सीआरनं0-108112502875948	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
56	मो0 अरशद पिता-मो0 नसदीन ग्राम-उज्जैन टोला बेतिया पो0-बेतिया थाना-नगर जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-108112300962598	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
57	संजीत कुमार पिता- मल्लर साह ग्राम-चकला पो0-गोट बरदाहा थाना-परमानंदपुर जिला-मधेपुरा सीआरनं0-108112300021980	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
58	उषा देवी पति-ओम प्रकाश कुमार ग्राम-भरवाडा पो0-भरवाडा थाना-सिंघवारा जिला-दरभंगा सीआरनं0-108112403237158	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
59	शहजादी खातुन पति-मो0 मुस्तफा अंसारी ग्राम-संग्राम पो0-तुलापतगंज थाना-अररिया संग्राम जिला-मधुबनी सीआरनं0-108112502915451	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
60	मो0 असीर पिता-मो0 असिन ग्राम-मदनपुर वार्ड 02 पो0-बलही तेघरा थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा सीआरनं0-108112501211582	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

61	श्याम सुन्दर देवी पति-स्व सत्य नारायण यादव ग्राम-चाणक्यपुरी राजा बाजार 14 गोवर्धन मार्ग, पो0-बी0 भी0 कालेज थाना-शास्त्रीनगर जिला-पटना सीआरनं0-108112500362536	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
62	दीपक दास पिता-छोटकन दास ग्राम-गंजलादास टोला वार्ड पो0+थाना-सहरसा जिला-सहरसा सीआरनं0-108112500963408	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
63	सहदेव शर्मा पिता-जनक शर्मा ग्राम-कजहा पो0-बाभनी थाना-गम्हरीया जिला-मधेपुरा सीआरनं0-108112300451984	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
64	तारानाथ मिश्र पिता-गणेश मिश्र ग्राम-मनमोहन पो0-बाथ थाना-लखनौर जिला-मधुबनी सीआरनं0-108112300057011	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
65	सुबीन्द्र प्रसाद पिता-स्व0 रामवचन प्रसाद ग्राम-मानपुर वार्ड 02 पो0-धनगावा थाना-एकंगरसराय जिला-नालंदा सीआरनं0-108112402952490	नी रिपलेस्मेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
66	राहुल कुमार पिता-सुरेन्द्र कुमार ग्राम-बेलदारीचक पो0-पुनपुन थाना-परसा बाजार जिला पटना सीआरनं0-108112503060425	क्रोन्स रोग	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
67	राज कुमार साह पिता-तिलक साह ग्राम-लोहानीपट्टी पो0-मालपुर थाना पातेपुर जिला वैशाली सीआरनं0-108112300919111	किडनी रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

68	जगत रंजन यादव पिता-दशरथ यादव ग्राम-द्वारम वार्ड 01 पो0-सुदै रतौली थाना-फुलपरास जिला-मधुबनी सीआरनं0-108112400430488	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
69	रवि कुमार पिता-बबन सिंह ग्राम-बिमवां वार्ड 07 पो0-बिमवां थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर सीआरनं0-108112401496237	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
70	कुंज रंजन पिता-आशुतोष कुमार ग्राम-मेघपुर वार्ड 06 पो0-खुदवां थाना-खुदवां जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-108112501816131	कोकलीयर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
71	बोबी देवी पति-कन्हैया लाल मंडल ग्राम-रानीगंज वार्ड 10 पो0-बस्तौल थाना-प्राणपुर जिला-कटिहार सीआरनं0-108112401863001	Urinary leak from blader	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
72	बिना देवी पति-नंद किशोर मंडल ग्राम-महेशखुंट वार्ड 13 पोस्ट-महेशखुंट थाना-महेशखुंट जिला-खगडिया सीआरनं0-108112401573100	Catarac t Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
73	चन्द्रिका सिंह पिता- हरदेव सिंह ग्राम- मोहिउद्दीनपुर पो0- बालुकाराम थाना- वैशाली जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112309223841	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
74	कल्पना देवी पति- चंद्र कुमार वर्मा ग्राम- जहलीपट्टी वार्ड 08 पो0- देवीपुर थाना- राधोपुर जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112500668121	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	मिथिलेश साह पिता- विंदेश्वर साह ग्राम+पो0- बराही थाना- परिहार जिला- सीतामढ़ी सीआर नं0- 108112502323813	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	मो0 रफीक अली पिता- मो0 अलीजान मियां ग्राम- मखपा वार्ड 10 पो0- डकरा थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद सीआर नं0- 108112503039663	हृदय रोग सीएबीजी (सिंगल)	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
77	सविता देवी पति- मुकेश राय ग्राम- अमहरुहॉ पो0- कोसियर थाना- चौरी जिला- भोजपुर सीआर नं0- 108112503415428	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
78	सुनीता देवी पति- परमेश्वरी छिटान ग्राम+पो0- तेकुना थाना- प्रतापगंज जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112300627659	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	नरेशलाल कर्ण पिता- अनंत लाल कर्ण ग्राम- माधवापुर वार्ड 07 पो0+थाना- मधवापुर जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112503100176	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
80	तेतरा देवी पति- अशोक कुमार गुप्ता ग्राम- जमुआ पो0- करुप थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर नं0- 108112300896421	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	शिवनारायण मंडल पिता- जगदीश मंडल ग्राम+पो0- तुलापट्टी थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112503160926	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	फरहत फातमा पिता- सैयद अली अमीर नकवी ग्राम- बनारस बैंक चौक पो0- प्रधान डाकघर थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112501017832	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	शर्तींद्र कुमार सिंह पिता- मौजी लाल सिंह ग्राम- ठहरा पो0+थाना- मकेर जिला- सारण सीआर नं0- 108112300901866	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
84	रुखिया देवी पति- रामेश्वर नाट ग्राम- सगुनी पो0- श्रीरामपुर थाना- परसा जिला- सारण सीआर नं0- 108112400195071	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	अनीता देवी पति- मनोज पासवान ग्राम- जोंकी वार्ड 04 पो0- जोंकी थाना- वासोपट्टी जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112300452565	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	फुलमती देवी पति- दिनानाथ राय (जे0पी0 सेनानी) ग्राम+पो0- डेवढी थाना- तरैया जिला- सारण सीआर नं0- 108112502823034	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	सिम्पी सिंह पति- ऋषिकेश सिंह ग्राम- कनाई पोस्ट- धुवडीहन थाना- चरपोखरी जिला- भोजपुर सीआर नं0- 108112502592814	कैंसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			65,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 65,80,000/- (पैसठ लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002575 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का

नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3515(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.002848.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
कंकड़बाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नाथुन साह पिता- गंगा साह ग्राम- सैफपुर वार्ड 43 पो0- जदुआ थाना- गंगान्निज जिला- वैशाली रजि नं0- 2526/40351	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3516(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002515 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ददन कुमार सिंह पिता- कामेश्वर सिंह ग्राम- भदी वार्ड 02 पो०- बसंतपुर थाना- धोबहौं जिला- भोजपुर	हृदय रोग एवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	सुनीता कुमारी पति- रजनीश दुबे ग्राम- रेंका पो०- आथर थाना- सिकरौल जिला- बक्सर	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,85,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002525.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 3517(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002515 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. सी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विकाश कुमार पिता- पंछी राय ग्राम- डुमरी उत्तरी पो0- डुमरी थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	अब्दुल करीम पिता- अब्दुल रहीम ग्राम- पंचायत नौहट्टा पो0- नौहट्टा थाना- नवहट्टा जिला- सहरसा	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	सुनीता कुमारी पति- गुड्डू कुमार ग्राम- रामपुर ब्रह्मदास पो0- खोक्सा बुजुर्ग थाना- राजापाकर जिला- वैशाली	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	रविंद्र पंडित पिता- उमार्शंकर पंडित ग्राम+पो0- गुलजारपुर थाना- सहार जिला- भोजपुर	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

5	महेंद्र साह पिता— मानिक साह ग्राम+पो0— सरायगढ़ थाना— भपटियाही जिला— सुपौल	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
6	उपेंद्र दास पिता— नवदीप दास ग्राम— जेटुली पो0— कच्ची दरगाह थाना— नदी जिला— पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
7	जिरिया देवी पति— राम विलाश पंडित ग्राम— इब्राहिमपुर शिव दर्शन पो0— बाजितपुर थाना— चकस्तूरी जिला— वैशाली	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
8	संतू सिंह पिता— गोपाल सिंह ग्राम— चमथा लक्ष्मणटोल पो0— चमथा छोटखूंट थाना— बछवाड़ा जिला— बेगूसराय	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
9	मो0 मोजक्किर अहमद पिता— मुश्ताक अहमद ग्राम+पो0— बड़ी बलिया थाना— बलिया जिला— बेगूसराय	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
10	सुशान्त कुमार पिता— शंकर प्रसाद ग्राम— गंगौरा पो0— बदरवाली थाना— चंडी जिला— नालंदा	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
11	रामजी सिंह पिता— अर्जुन सिंह ग्राम— चित्रगुप्त नगर कंकड़बाग पो0— लोहियानगर थाना— पत्रकार नगर जिला— पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
12	राज लक्ष्मी वर्मा पिता— मदन बिहारी वर्मा ग्राम— पुरानी बाजार चितरंजन रोड पो0+थाना— लखीसराय जिला— लखीसराय	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

13	हनी सिंह पिता- संतोष कुमार सिंह ग्राम+पो0- आयर थाना- आयर जिला- भोजपुर	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
14	फिरदौश हसन पिता- मो0 हसन खान ग्राम+पो0- खजूरार थाना- भदौर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
15	ऋषव राज पिता- अमरेन्द्र पासवान ग्राम- सिकानपुर पो0- मंझौली थाना- रजौन जिला- बांका	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
16	पोमी कुमारी पिता- रामानंद यादव ग्राम- पुरना पो0- लहरनीया थाना- त्रिवेणीगंज जिला- सुपौल	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
17	नंदनी कुमारी पिता- सरोज सहनी ग्राम- भवानीपुर पो0+थाना- राजनगर जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सोनू कुमार पिता- अनिल यादव ग्राम- लक्ष्मी विगहा पो0- नौरु थाना- काको जिला- जहानाबाद	ड्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	आशुतोष राय पिता- संतोष कुमार राय ग्राम- भुसौला चक पो0- मुबारकपुर थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
20	राजकुमारी देवी पति- नथुनी साह ग्राम+पो0- घटारो थाना- करताहां जिला- वैशाली	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।

21	प्रिंस कुमार पिता- विनय कुमार ग्राम- तुर्की पो0- महुली थाना- बहेड़ी जिला- दरभंगा	ड्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	गोलू कुमार पिता- विश्वनाथ राय ग्राम- खासपुर पो0- दाउदपुर थाना- मनेर जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
23	सौरभ कुमार पिता- राजू तिवारी ग्राम- ढोढपुर पो0- सिकटिया थाना- भगवानपुर जिला- सिवान	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
24	रजनीश कुमार पिता- उदय यादव ग्राम- लक्षु बिगहा पो0- पंडुई थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
25	नियाज अहमद अंसारी पिता- अब्दुल रशीद अंसारी ग्राम+पो0- अफौर थाना- नगरा ओ पी जिला- सारण	नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
26	मो0 अकील अहमद पिता- स्व0 मो0 अबुबकर ग्राम- सलेमपुर पो0- सोहसराय थाना- शोहसराय जिला- नालंदा	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
27	उर्मिला देवी पति- विनोद पासवान ग्राम- मथुरापुर बुजुर्ग पो0- बसुआ थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
28	बसंती देवी पति- सहदेव साह ग्राम+पो0- धरमपुर थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

29	अनुजा देवी पति- सिद्धनाथ प्रसाद ग्राम- बांकीपुर गोरख पो0- फतुहा थाना- फतुआ जिला- पटना	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
30	गुचक लाल मंडल पिता- स्व0 विदी मंडल ग्राम+पो0- भंगहा थाना- पोठिया ओ पी जिला- कटिहार	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
31	गोविन्द राय पिता- स्व0 भोला राय ग्राम- कदवा बासा पो0- बलिया थाना- बलिया जिला- पूर्णियाँ	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
32	आलका कुमारी पिता- अलोक कुमार ग्राम- पूर्वी रौजा छपरा सारण पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण	कोकलियर इम्प्लांट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
33	बची देवी पति- श्री नागनरायण शाही ग्राम- धनेश छपरा पो0- हाफिजपुर थाना- जतना बाजार जिला- सारण	न्यूरो सर्जरी (स्पाईन)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
34	विश्वजीत कुमार पिता- अरुण कुमार शर्मा ग्राम- भिखारी छपरा पो0- लतरहियाँ थाना- परसा जिला- सारण	न्यूरो सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
35	अंजलि कुमारी पति- अजय कुमार ग्राम- होरीलगंज जहानाबाद पो0- जहानाबाद थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद	न्यूरो सर्जरी (स्पाईन)	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
36	उपेन्द्र गोप पिता- रामजी गोप ग्राम- बलधा पो0- दामोदरपुर बलधा थाना- नगरनौसा जिला- नालंदा	न्यूरो सर्जरी (स्पाईन)	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

37	रामदेव पासवान पिता- परमेश्वर पासवान ग्राम- दरियापुर पो0+थाना- फतुहा जिला- पटना	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
38	संज्ञा देवी पति- जवाहर साह ग्राम- महिसरहो पो0- सरौनी थाना- महिषी जिला- सहरसा	न्यूरो सर्जरी (स्पाईन)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
39	निरु कुमारी पति- नितेश कुमार ग्राम+पो0- कुअमा थाना- पिपराही जिला- शिवहर	ब्रेन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
40	कल्पना कुमारी पिता- स्व0 प्रमोद राय ग्राम- लक्ष्मीपुर पो0- पुरैना थाना- योगापट्टी जिला- पश्चिम चम्पारण	Lepromatous Leprosy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
41	पूनम पति- विकाश कुमार ग्राम- संतनगर पो0- बरारी थाना- बरारी ओपी जिला- भागलपुर	SLE with Progressive Systemic Sclerosis	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
42	अकाश कुमार पिता- रणधीर कुमार ग्राम- सरारी पो0- करंजा थाना- नौबतपुर जिला- पटना	ब्रेन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
43	अरुण कुमार पिता- एकराम सिंह ग्राम- सोनवर्षा पो0- शिवपुर कुनाई थाना- धनगाई जिला- भोजपुर	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
44	मौषम कुमारी पिता- सुनीता कुमारी ग्राम- भवानीपट्टी पो0- तमुआ थाना- राजेश्वरी जिला- सुपौल	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

45	सुरेंद्र पाठक पिता- बिंदेश्वरी पाठक ग्राम- महमदपुर बाया पो0+थाना- सरैया जिला- मुजफ्फपुर	ESKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
46	रौशनी कुमारी पिता- अनिल कुमार ग्राम- दुधिया अकिलपुर पो0+थाना- अकिलपुर जिला- सारण	SLE LN Class IV	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
47	ओम वीर पिता- राम कुमार कुशवाहा ग्राम+पो0- मलंगिया थाना- रहिका जिला- मधुबनी	Arthroscopic bankart's repair	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
48	राज कुमार पंडित पिता- लक्ष्मी पंडित ग्राम- केला बिगहा पो0+थाना- तेल्हाड़ा जिला- नालंदा	Neovascular Macular Degeneration AMD	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
49	शिवम कुमार पिता- महेंद्र साव ग्राम+पो0- भतहर थाना- थरथरी जिला- नालंदा	Neovascular Macular Degeneration AMD	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
50	प्रियबंदा कुमारी पिता- चदेश्वर मिश्रा ग्राम+पो0- गरीबा थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण	Chronic Pulmonary Embolism	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
51	राकेश कुमार राम पिता- राजेन्द्र राम ग्राम- फेनहारा पो0- अमरदह थाना- तरैया जिला- सारण	ACL	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
52	गीतू कुमारी पिता- सुजिन्द्र सिंह ग्राम+पो0- जोगता थाना- चांदी जिला- भोजपुर	Traumatic SCK with paraplegia	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
53	पवन कुमार पिता- कैलाश वर्णवाल ग्राम- बाराकोला पो0- टोनापत्थर थाना- कटोरिया जिला- बांका	Knee Amputation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

54	अमृत आनन्द पिता- उदय शंकर सिंह ग्राम- टेगाडीह पो0+थाना- करताहां जिला- वैशाली	Knee Amputation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
55	पूनम कुमारी पति- मेधनाथ शर्मा ग्राम- बनकेरवा पो0- परसौना थाना- परसा जिला- सारण	SLE-LN Class IV	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
56	कोमल कुमारी पिता- प्रमोद कुमार ग्राम- कन्या पो0- सैदाबाद थाना- रानीतालाब जिला- पटना	ACL	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
57	ममता कुमारी पति- दीपक कुमार ग्राम- पश्चिम टोला वार्ड 09 पो0+थाना- आरा जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
58	अमित कुमार पिता- लाल बाबू चौधरी ग्राम- गुदरी राय के चक पो0+थाना- भगवान बाजार जिला- सारण	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
59	आयुषी कुमारी पिता- सुधीर कुमार ग्राम- देउआर वार्ड 06 पो0- पाण्डुरा रामपुर थाना- संदेस जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
60	कान्ति कुमारी पिता- कविंद्र यादव ग्राम- पिरही पो0- नरही थाना- कुर्था जिला- अरवल	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
61	मीना देवी पति- करीमन साव ग्राम- सुलिश अरवल पो0+थाना- अरवल जिला- अरवल	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

62	सतीश पाल पिता- सदन पाल ग्राम- गडेरिया टोला बड़ी खगौल पो0+थाना- खगौल जिला- पटना	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
63	नेहा कुमारी पति- कुमार अभिजीत ग्राम- आजाद लेन वार्ड 51 पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
64	राजू कुमार सिंह पिता- रामयश सिंह ग्राम- खोरमपुर पो0- महारानी थाना- महत्तदपुर जिला- गोपालगंज	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
65	राज किशोर शर्मा पिता- स्व0 रामप्रवेश सिंह ग्राम- गौरा जगदीशपुर वार्ड 07 पो0- दरियापुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
66	अशोक कुमार सिन्हा पिता- महेन्द्र प्रसाद सिन्हा ग्राम+पो0- भौरादह थाना- बहादुरगंज जिला- किशनगंज	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
67	कलावती देवी पति- स्व0 चन्द्रमा सिंह ग्राम- सर्विसरैया वार्ड 06 पो0- नवादा थाना- जलालपुर जिला- सारण	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
68	मदन लाल पाल पिता- स्व0 कैलाश भगत ग्राम- सब्जी बाजार बिहटा वार्ड 13 पो0+थाना- बिहटा जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
69	निर्मला देवी पति- बाल्मीकि प्रसाद यादव ग्राम- साहेबगंज प्रोफेसर कॉलेनी वार्ड 10 पो0- चम्पानगर थाना- यूनवर्सिटी जिला- भागलपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

70	विजन्ति देवी पति- सुधीर केवट ग्राम- चंदई वार्ड 09 पो0+थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
71	महेन्द्र सिंह पिता- जामुन सिंह ग्राम- शिकारपुर उसरी पो0- शिकारपुर थाना- शाहपुर जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
72	रेणु कुमारी पति- अरविन्द कुमार ग्राम- नवादा पो0- मुरकपुर थाना- फुलवारी जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
73	सिमी कुमारी पिता- हेमंत कुमार ग्राम- याकूबपुर पो0- सोरमपुर थाना- जानीपुर जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
74	कंचन देवी पति- विजय यादव ग्राम- छलेलगंज वार्ड 05 पो0- तारानगर थाना- आईआईटी बिहटा जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
75	सुगम देवी पति- शिवचंद्र भगत ग्राम- गोसाई छपरा वार्ड 13 पो0- बसन्तपुर पट्टी थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
76	दिनेश मांझी पिता- नथुनी मांझी ग्राम- पुजहा पटजिरवा वार्ड 08 पो0- पटजिरवा थाना- श्रीनगर जिला- पश्चिम चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
77	मो0 सोहराव पिता- मो0 उसमान ग्राम+पो0- कायमनगर थाना- गीधा जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

78	शैलेन्द्र कुमार पिता- गणेश यादव ग्राम+पो0- दीनदयालपुर थाना- जी0बी0 नगर जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
79	राजमणी देवी पति- मनोज कुमार ग्राम+पो0- लालगंज सेहरा थाना- पालीगंज जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
80	रोशनी कुमारी पिता- राहुल कुमार ग्राम- नसोपुर पो0- बेला तराढ़ी थाना- नौबतपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
81	बच्चू यादव पिता- बलदेव यादव ग्राम- पथरा सिंदुआरी वार्ड 10 पो0- भदोखरा थाना- मुफ्फसिल जिला- नवादा	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
82	विराज कुमार पिता- चन्दन कुमार ग्राम+पो0- गोपालपुर थाना- नयागांव जिला- सारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
83	अरविन्द कुमार पिता- स्व0 बुन्दी प्रसाद ग्राम- छोटकी नवादा पो0- आर एस गया थाना- देलाहा जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
84	प्रतिभा पांडेय पति- जय शंकर पांडेय ग्राम- पूर्वी दहियावां आर अली रोड वार्ड 28 पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
85	हनी यादव पिता- निशांत गौतम ग्राम+पो0- परसौना थाना- परसा जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

86	मनोज कुमार पिता- परमेश्वर राम ग्राम- केसोपुर पो- कजरा थाना- पीरी बाजार जिला- लखीसराय	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			87,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 87,85,000/- (सत्तासी लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 001515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3518 (14)

पटना, दिनांक 31/12/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 001515 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० सी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैंसर सेंटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शत्रुघ्न चौधरी पिता-स्व0 ब्रह्मादेव चौधरी ग्राम-घोसवर पो0-रजौली थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	धर्मावती देवी पति-रामा शंकर सिंह ग्राम-अहियापुर पो0-जलहारा थाना-राजपुर जिला-बक्सर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	मो0 सत्तार पिता-मो0 अजीम ग्राम-महिया टोल कटहरी पो0-मोहब्बा थाना-डंडारी पुलिस स्टेशन जिला-बेगुसराय	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	प्रमिला देवी पति-सूर्यनारायण सिंह ग्राम-फर्चक वार्ड 2 पो0-टहटा थाना-चौथम जिला- खगड़िया	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	वेवी खातुन पति-कैश खान ग्राम-खुदा नगर पो0-मोतिहारी थाना-छितौनी जिला-पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	बीबी सुल्ताना पति-इस्तिथक अंसारी ग्राम-बडी मस्जिद लेन पो0 चम्पा नगर थाना-नाथ नगर जिला-भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	महेन्द्र कुमार यादव पिता-राजेन्द्र यादव ग्राम-पूर्वी घरारी 05 पो0-खरीक बाजार थाना-खरीक जिला-भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	शंभु यादव पित-भटन यादव ग्राम-गौरवगढ वार्ड 06 पो0-सुपौल थाना-जिला-सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मो0 आजम खान पिता-नूरुद्दीन ग्राम-रजौला वार्ड 06 पो0-बटराहा थाना-सोनमणि गोदाम जिला-अररिया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	पवन साह पिता-राम करण साह ग्राम+पो0-माधोपुर केशो थाना-राजेपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	प्रमिला देवी पति-कन्हैया यादव ग्राम+पो0-केंदुआर थाना-अमरपुर जिला- बांका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	विजयंती देवी पति-होती सिंह ग्राम-पोस्ट-पहरपुर थाना-अगियांव, गडहनी जिला-भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सरला देवी पति-रामजश राय ग्राम-महमद पो0-महमद थाना-मुफ्फसिल जिला-बक्सर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

14	सरवरी पति-जमशेद आलम ग्राम-रहिका टोला पो0+थाना-अररिया जिला-अररिया	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	मोहम्मद मोतीउर रहमान पिता-अब्दुल रशीद ग्राम-बंगरा बंशीधर पो0-कुढनी थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	वसीरुद्दीन अंसारी पिता शोएब अंसारी ग्राम+पो0-जीवछपुर थाना-भीमपुर जिला-सुपौल	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	गीता देवी पति-गणेश यादव ग्राम-कटैया झीटकोहया 14 पो0-कटैया थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबनी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	असलेमा खातुन पति-फानीद आलम ग्राम-बलुआगोस्तारा वार्ड 08 पो0-मीरपुर हाट थाना-रौटा जिला- पूर्णिया	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
19	खैरुन नेशा पति-मेनुदीन मियां ग्राम-खेखरिया वार्ड 11 पो0+थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	मीरा देवी पति-वीरेन्द्र सिंह ग्राम-देवापुर पो0-देवापुर थाना-बरौली जिला- गोपालगंज	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	गीता देवी पति-स्व0 बबन राय ग्राम+पो0-मानस नया पानापुर थाना-दानापुर जिला-पटना	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
22	उमेश मंडल पिता-हियालाल मंडल ग्राम-पैरु मंडल टोला पो0-बरियारपुर थाना-बरियारपुर जिला-मुंगेर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

23	मनोज यादव पिता-कमलेश्वरी यादव ग्राम-धोबिनियाँ वार्ड 13 पोस्ट+थाना-नवगछिया जिला-भागलपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मो० अनवर पिता-वकील अहमद ग्राम-सेमरा पो०-थावे थाना+जिला-गोपालगंज	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	द्रोपती देवी पति-राघव सिंह ग्राम-सिंगासनी वार्ड 08 पो०-सिंगासनी थाना-रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			16,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,30,000/- (सोलह लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002545 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैंसर सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3527(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 001575 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं०- 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एडं रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय प्रसाद सिंह पिता- रामचंद्र सिंह ग्राम- सिंगार फुलकाहाँ वार्ड 05 पो0- सिंगार थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	हारी देवी पति- पशुपति सिंह ग्राम- फराबारी पो0- झाला थाना- टेढ़ागाछ जिला- किशनगंज	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	राम सती देवी पति- राम एकवाल साह ग्राम+पो0- भिट्ठा बाजार थाना- सुरसंड जिला- सीतामढ़ी	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	भोला प्रसाद पिता- कुस्वर साव ग्राम- नयाचक वार्ड 04 पो0- मनोहरपुर कछुआरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	गैबी महतो पिता- स्व० गुलचरण महतो ग्राम- चुन्नी साह लेन पो0+थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

6	उषा देवी पति- ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ग्राम- समीर नगर वार्ड 32 पो0- कोशी कॉलेज थाना- चित्रगुप्त नगर जिला- खगड़िया	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	लालबाबू राय पिता- काली राय ग्राम- हरदहिया पो0- नरंगा थाना- बेला जिला- सीतामढ़ी	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
8	रेखा देवी पति- शम्भू कुमार पासवान ग्राम- उफरैल वार्ड 09 पो0- आमगाछी थाना- सिकटी जिला- अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			5,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,30,000/- (पाँच लाख तीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002545 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना

में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3528(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 004515 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नीलम देवी पति- अरविन्द कुमार सिंह ग्राम- बसडीहा पो०- बेलाई थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद रजि नं०- 3000615746	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	दिलीप कुमार पिता- गिरजा राय ग्राम- दरिहारा चतुर्भुज पो०- दरिहारा थाना- दरियापुर जिला- सारण यूएचआईडी नं०- 3000427344	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	मुन्ना कुमार राय पिता- किचकु राय ग्राम- चम्पा बरेली पो०- टोली कोला थाना- डगरूआ जिला- पूर्णियाँ रजि नं०- 3000344111	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
4	मृत्युंजय कुमार सिंह पिता- स्व० कृष्ण कुमार सिंह ग्राम- विवेकानंद मार्ग नार्थ एस०के० पुरी पो०- पाटलिपुत्रा थाना- एस० के० पुरी जिला- पटना रजि नं०- 3000507223	सीकेडी स्टेज- 05 (डायलेसिस)	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	केशव राज पिता— प्रवीण कुमार सिंह ग्राम— जगरनाथपुर वार्ड 04 पो0— हरपुर फटिकवारा थाना— महनार जिला— वैशाली यूएचआईडी— 3000194903	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	आकृति कुमारी पिता—लक्ष्मीकांत तिवारी ग्राम+पो0—मनियारपुर थाना—बिदुपुर जिला—वैशाली रजिन0—3000337183	Ureteroscopy	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
			5,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,60,000 /— (पाँच लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002515..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम—पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया

जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

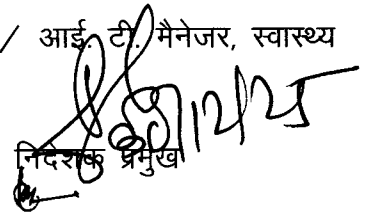
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3520(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 004545 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 24.12.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बैजनाथ सिंह पिता- गंगादयाल सिंह ग्राम- अकबरपुर पो०- शमशेरनगर थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रिकेश कुमार पिता- मनोज कुमार ग्राम- धरहरा पो०- इंग्लिश थाना- मैरवा जिला- सिवान	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	फुदेना देवी पति- स्व० मुक्ति सिंह ग्राम+पो०- कठार थाना- कृष्णब्रह्म जिला- बक्सर	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	अक्लिमा खातून पिता- एजाजुल खान ग्राम+पो०- बरहंडा थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
5	रोहिला देवी पति- श्रीनेत सिंह ग्राम+पो०- तक्कीपुर थाना- महाराजगंज जिला- सिवान	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

6	बिपिन मिस्त्री पिता- अर्जुन मिस्त्री ग्राम+पो0- सिउर थाना- रोह जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	गिरधारी साह पिता- कंचन साह ग्राम- हजियापुर रोड पो0+थाना- गोपालगंज जिला- गोपालगंज	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
8	भोला प्रसाद गुप्ता पिता- वासुदेव साव ग्राम+पो0- सरथा थाना- चंडी जिला- नालंदा	नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
9	बजरंग कुमार प्रसाद पिता- सुरेंद्र प्रसाद साह ग्राम+पो0- हुस्सेपुर थाना- अमनौर जिला- सारण	Surgery ORIF & Debridement	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
10	जितेन्द्र प्रसाद साह पिता- सुरेन्द्र प्रसाद साह ग्राम- हुस्सेपुर सोनारपट्टी पो0- हुस्सेपुर थाना- अमनौर जिला- सारण	ORIF With Bone Grafting	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			10,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,40,000/- (दस लाख चालीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है।

उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3521(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002515 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 24.12.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शंकर कुमार गुप्ता पिता- शिव कुमार गुप्ता ग्राम- पथराही पो०- बसनिया थाना- लौकहा जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	कृष्णा कुमार पासवान पिता- स्व० भूखल पासवान ग्राम- रैयाम पो०- झंझारपुर थाना- भैरवस्थान जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	मुकेश्वर यादव पिता- स्व० बिरंछि यादव ग्राम- माहिसौथ पो०- दिनमो थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	बबलू यादव पिता- स्व० राम कृपाल यादव ग्राम- मरवा पो०- भराही बाजार थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	जोगेन्द्र राम पिता- प्रीतीराम ग्राम+पो0- सिसोडिह थाना- मब्बी जिला- दरभंगा	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
6	धनराज कुमार पिता- बिदेश्वर पासवान ग्राम- मिर्जापुर पो0- लहेरियासराय थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	विनोद कुमार साह पिता- राम रूप साह ग्राम- कमलपुर पो0- डगमारा थाना- कुनौली जिला- सुपौल	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	अनंत कुमार चौहान पिता- धर्मेन्द्र कुमार सिंह ग्राम- मधुरापुर पो0- पूनमधर्मपुर थाना- हथौड़ी जिला- समस्तीपुर	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	इंद्रमोहन कुमार पिता- दुखन महतो ग्राम+पो0- बाहरी थाना- बहेडी जिला- दरभंगा	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
10	राहुल कुमार राय पिता- राम शोभित राय ग्राम- भंगरौना पो0- गोनौली थाना- अन्धाटारही जिला- मधुबनी	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	मो0 अरशद पिता- मो0 असगर ग्राम- बलहा मत टोला पो0- कमतौल थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
12	सती देवी पति- रामसंजीवन सिंह ग्राम- महथौर पो0- पुताई थाना- मनगाछी जिला- दरभंगा	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।

13	विजय सहनी पिता- बिन्दे सहनी ग्राम- कपुरपट्टी पो0- कौल्यम थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
14	धनेश्वर गुप्ता पिता- स्व0 लक्ष्मी साह ग्राम- आंधरा मठ पो0- नरहिया थाना- आंध्रामठ जिला- मधुबनी	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
15	भुवनेसर मंडल पिता- असफ़ी मंडल ग्राम- डुमरा पो0- राजारामपट्टी थाना- आंध्रामठ जिला- मधुबनी	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
			₹ 10,60,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,60,000/- (दस लाख साठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3522(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002545 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्ण नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आलिया फिरदौश पिता- महमूद आलम ग्राम- संग्रामपुर वार्ड 16 पो०- भटगाइ थाना- तरैया जिला- सारण	हृदय रोग एमवीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	रणजीत सिंह पिता- स्व० केशवर सिंह ग्राम- सुंदरचक पो०- कोसुत थाना- धनरूआ जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	अनीता देवी पति- योगेंद्र राय ग्राम- चिकनौटा वार्ड 40 पो०+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	मीरा देवी पति- रविंद्र साह ग्राम- खड़सरा महमूदगंज पो०- छाता थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग एमवीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	हिमांशु कुमार पिता- श्री नाथ कुमार ग्राम- बंगाली पारा पो०+थाना- राजगीर जिला- नालंदा	ब्रेन सर्जरी (मेजर)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	अनीता कुमारी पति- बाल बृंद कुमार आर्य ग्राम- लालगंज पो0+थाना- चंडी जिला- नालंदा	Sepsis with Shock	80,000	पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	आमना खातून पति- मो0 मुस्ताक ग्राम+पो0- छितरौली थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर	Spine surgery (Micro Lumbar Disectomy)	80,000	पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	सोनाली कुमारी पिता- संजय कुमार ग्राम- पखनपुर पो0- केवा थाना- हिलसा जिला- नालंदा	हृदय रोग एमवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			7,65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु0 7,65,000/- (सात लाख पैंसठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 001515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

- शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3524(14)

पटना, दिनांक

31/12/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.004512 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एडं रिसर्च सेंटर एस0के0एम0 सी0 एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रागनी कुमारी पिता- स्व0 राकेश प्रसाद यादव ग्राम- श्याम बखरी पो0- झौआराम थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2025/006622	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मोनिका कुमारी पिता- संजीत राम ग्राम- झहुरी पो0- बिरसिंगपुर थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/006821	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मुकेश कुमार राम पिता- उमेश राम ग्राम- कमलदह पो0- लछवार थाना- रैयाग जिला- दरभंगा केस फाईल नं0- 19एफ2024/003526	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	कृष्ण नन्द यादव पिता- शिबू प्रसाद यादव ग्राम+पो0- थाथा थाना- मानसी जिला- खगड़िया केस फाईल नं0- 11एफ2021/037766	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

5	सीमा देवी पति- विनय कुमार सिंह ग्राम- हहारो पो0- मदरना थाना- वैशाली जिला- वैशाली केस फाईल नं0- 19एफ2025/001176	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	विमल किशोर सिंह पिता- रामस्वार्थ सिंह ग्राम- जारंग रामपुर वार्ड 08 पो0- जारंग रामपुर थाना- बेलसर जिला- वैशाली केस फाईल नं0- 19एफ2025/005360	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	पूनम देवी पति- सुकन साह ग्राम+पो0- तेतरिया थाना- राजपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2025/003841	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	कृष्णा पटेल पिता- खोबारी राउत ग्राम- बैकुंठवा पो0- खड्डा कुंजलही थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2025/005731	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	सुमन ओझा पिता- किशोरी ओझा ग्राम- भवानीपुर पो0- ठीकहाँ भवानीपुर थाना- संग्रामपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2025/004962	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	गंगानाथ झा पिता- दीनानाथ झा ग्राम- सुपौल बाजार रामनगर पो0+थाना- बिरौल जिला- दरभंगा केस फाईल नं0- 19एफ2025/005032	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	हाकिम पिता- नईमुदीन ग्राम- चिकनी पो0- कमलदहा थाना- अररिया जिला- अररिया केस फाईल नं0- 19एफ2025/002540	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	दुलारी देवी पति- राज मंगल पंडित ग्राम- सरखौली पो0- कन्हौली गजपति थाना- परसौली जिला- सीतामढ़ी केस फाईल नं0- 19एफ2025/006541	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
13	रवि रंजन रवि पिता- राज नारायण प्रसाद गुप्ता ग्राम+पो0- बनैनिया थाना- भपटियाही जिला- सुपौल केस फाईल नं0- 19एफ2024/004608	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
14	रवीन कुमार पिता- किशुन प्रसाद ग्राम+पो0- टेंगरारी थाना- सिवाईपट्टी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/005447	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			9,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,80,000/- (नौ लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002575 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एडं रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3532(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002575 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	रामसेवक राम पिता- मंगल राम ग्राम+पो०- रामपुर हरी थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	बिनोद कुमार पिता- सच्चिदानंद दास ग्राम- सैदाबाद थाना- मोहनपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	अरविन्द देवी पति- रामचंद्र प्रसाद ग्राम- यादोपुर नन्हकार पो०- करमवा थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	संजय कुमार पिता- कृष्णचन्द्र प्रसाद अरुण ग्राम- सकरा फरीदपुर पो०- ढोली थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	पंकज राम पिता- वाल्मीकि राम ग्राम- शहरू पो0+थाना- धनरूआ जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	सुरेंद्र साह पिता- केदार साह ग्राम- पारू चौधरी टोला पो0+थाना- पारू जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	माखन शर्मा पिता- स्व0 झोली शर्मा ग्राम- सिमराही पो0+थाना- राघोपुर जिला- सुपौल	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	रईस पिता- भदाई ग्राम- नया टोला हंसदा वार्ड 35 पो0- गुलाबबाग थाना- सदर जिला- पूर्णियाँ	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	नितेश कुमार पिता- कपिलदेव सिंह ग्राम- गोविंदपुर वार्ड 05 पो0- बाजितपुर सैदत थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	भगवान सिंह पिता- हरेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम- रतनपुर वार्ड 13 पो0- बरहरवा थाना- मजोरगंज जिला- सीतामढी	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	जीतेन्द्र सिंह पिता- राम बलि सिंह ग्राम- जयनगर वार्ड 14 पो0- चान्दी थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास	हृदय रोग डीवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	दिलीप चौधरी पिता- श्री चौधरी ग्राम- आमीपुर पो0- ओढ़नपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- नवादा	Ortho Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

13	गुड़िया देवी पिता-शिव नारायण मांझी ग्राम-अतौआ वार्ड 04 पोस्ट-गोनावां थाना-नवादा जिला-नवादा	हृदय रोग डीभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			9,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,75,000/- (नौ लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002575 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3534(14)

पटना, दिनांक 31/12/2015

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002575 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
कंकड़बाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **24.12.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० वकील अख्तर पिता- मो० अब्दुल रहमान ग्राम- बाजितपुर पो०- पुरपथार थाना- छौड़ाही जिला- बेगूसराय	हृदय रोग पेसमेकर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	गुप्तेन्द्र कुमार पिता- बनवारी प्रसाद ग्राम- खरगू बिगहा पो०- ओहारी थाना- कादिरगंज जिला- नवादा	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	रामानंद सिंह पिता- स्व० वृजनंदन सिंह ग्राम- इशरपुर सिपारा वार्ड 30 पो०- ढेलवा थाना- बेउर जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	रामचंद्र चौधरी पिता- रामस्वाप चौधरी ग्राम- पोखरिया वार्ड 06 पो०- दनौली फुलवरिया थाना- बलिया जिला- बेगूसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 2,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस०

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3519(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002515 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-07/2016
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **24.12.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	महावीर सिंह पिता- तेतर सिंह ग्राम+पो0- अम्बा थाना- अलौली जिला- खगड़िया	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अजय सिंह पिता-स्व0 सुरेन्द्र सिंह ग्राम+पो0-कजुर थाना-अतरी जिला-गयाजी	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	कोमल कुमारी, पिता-संजीत कुमार ग्राम-चमन बिगहा पोस्ट-कोडौना थाना+जिला-जहानाबाद	TB on ATT	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,60,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹, 1,60,000/-** (एक लाख साठ हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank

of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्रांच, डाकबंगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुपयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3523 (14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं0. 001513 में अंतरित किया जाता है।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकडी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उमेश सिंह पिता-सत्यनारायण सिंह ग्राम-लालापुर पोस्ट+थाना-कुदरा जिला-कैमुर, भभुआ	हृदय रोग पी०टी०सी०	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 004575 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3525 (14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002545 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनिया सिंह पति योगेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-कुरुसा पोस्ट-डोईया थाना-दिनारा जिला-रोहतास	Mirizzi's Syndrome with Stent Block	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 65,000/- (पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3526(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002545 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0'14/एम-11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
डा0 बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुलेखा देवी पति-प्रमोद सिंह ग्राम-सिकरीया पोस्ट-सुग्री थाना-थाली जिला-नवादा	Cholecystectomy Umbilical Herniorrhaphy	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	रेखा कुमारी पति-मुकेश कुमार ग्राम-परसीया पोस्ट-कोचस थाना-कोचस जिला-रोहतास	Cholecystectomy BLTL	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	कृति कुमारी पिता-कृष्णा नन्द मालाकार ग्राम-सगुना मैनपुरा पो0-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना	LaP. Cholecystectomy	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	जगदीश पंडित पिता-स्व0 रामा अवतार ग्राम-सुल्तानपुर पटना पोस्ट-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला- पटना	Inguinal Hernioplasty	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,60,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002575 द्वारा
आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-
442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH
CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग
कनेल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0004428 में अंतरित किया जाता
है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3529(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002575 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर संप हाउस
अगमकुंआ पटना 800007

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नजिरा खातून पति- मो० सिबगतुल्लाह ग्राम+पो०- झिल्लाडुमरी थाना- भपटियाही जिला- सुपौल	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	बालेश्वर पंडित पिता- प्रयाग पंडित ग्राम- लक्ष्मीपुर पो०+थाना- पीरी बाजार जिला- लखीसराय	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002575 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3530(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002545 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विककी कुमार पिता- विपत चौधरी ग्राम- नागा बाबा का मंदिर के पूर्वी नन्दगोला पो०- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	ड्रामा सर्जरी (स्पाईन)	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	राजू केवट पिता- मंगरू केवट ग्राम- सारे टेहटा मल्लाहटोली पो०+थाना- टेहटा जिला- जहानाबाद	ड्रामा सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रौशन बेगम पति- सेराज खान ग्राम- केरुआ पो०- तेतरावां थाना- गिरियक जिला- नालंदा ,	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	चांदनी कुमारी पति- कन्हैया कुमार ग्राम- मुसनापर पो०- कसारी थाना- गौरीचक जिला- पटना	ड्रामा सर्जरी (स्पाईन)	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मनीता देवी पति- राजू कुमार ग्राम- तुलसी मंडी गुलजारबाग पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			4,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 4,00,000/- (चार लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ड्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3531(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं0 002515 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुरेश प्रसाद यादव पिता-दीपन राय ग्राम-बरियारपुर पोस्ट+थाना-बरियारपुर जिला-पटना	टोटल नी रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002575 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-00030400000914 खाता धारक का नाम-"Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया

जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3533 (14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002575 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	संतोष कुमार शर्मा पिता- बाबूलाल शर्मा ग्राम- पंचशील नगर पो०+थाना- बाढ़ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	वीर सिंह पिता- सूरज कुमार सिंह ग्राम- घोघसा वार्ड 10 पो०- घोघसा थाना- हलसी जिला- लखीसराय	हृदय रोग पीडीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	हरिओम प्रसाद पिता- स्व० राम इकबाल साव ग्राम- सैदपुर धावा पो०+थाना- अरवल जिला- अरवल	हृदय रोग PTCA	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,85,000/- (दो लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002555 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौ.. के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3535(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 002575 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ए०एस० जी० आई अस्पताल
ओल्ड आर के० एभन्यु
राजेन्द्र नगर, नियर दिनकर गोलम्बर
पटना 800004

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 24.12.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	निरंजन सिंह पिता- कुशेश्वर सिंह ग्राम+पो०- तिहिया थाना- खैरा जिला- जमुई	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	गुड़िया कुमारी पिता- महेश सहनी ग्राम- घघा घाट गाणी नाथ मंदिर पो०- महेन्द्र थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	धमेन्द्र कुमार पिता- महेश्वर यादव ग्राम- बरियाही पो०- सिमरिया घाट थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सुमन कुमार पिता- ज्ञानचंद्र सहनी ग्राम- सिंघपुर पुनर्वास पो०- वलहपुर थाना- नयागांव जिला- बेगूसराय	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	उर्मिला देवी पति- बृजकिशोर शर्मा ग्राम- महमदपुर पो- काजीसराय थाना- काको जिला- जहानाबाद	Cataract surgery (Pheco)	21,000	इक्कीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 61,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 61,000/- (एकसठ हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002515 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 016705012140 खाता धारक का नाम- "ए०एस०जी० हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- आई०सी०आई०सी० आई०, शाखा का नाम- पटना RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000167 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3536(14)

पटना, दिनांक 31/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002515 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख